न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 466/2018

–:: प्रार्थीया ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. सीता पत्नी केवलराम जाति–बावरी निवासी–निम्बोल, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।		1. केवलराम पुत्र नारायणराम जाति–बावरी निवासी–निम्बोल तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.। 2. किशोर पुत्र केवलराम जाति–बावरी निवासी–निम्बोल तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.। 3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी महोदय, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तारीख रजू: 14/12/2018

उपस्थितः–

1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 05/02/2020

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. में पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नंबर 217/1 रकबा 05 बीघा खसरा नंबर 371 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, कुल खसरा 02 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा पैतृक पुश्तैनी कृपि भूमि गैरसायल संख्या 01 के नाम आई हुई है तथा गैरसायल संख्या 01 सायला का पति एवं गैरसायल संख्या 02 का पुत्र है तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073–2076 की प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित खसरान भूमि में गैरसायलान संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। लेकिन गैरसायल संख्या 01 की वैवाहिक पत्नी होने से एवं गैरसायल संख्या 01 के साथ सामलाती एवं संयुक्त रूप से वैवाहिक जीवन व्यतीत करने से सायला भी उक्त भूमि की भौक्ता होकर उपयोग उपभोग कर रही है एवं काबिल काश्त है। गैरसायल संख्या 01 वृद्व एवं बुर्जुग व्यक्ति है अक्सर बीमार रहता हैं एवं नशे पत्ते की प्रवृत्ति रखता है तथा इसके साथ ही गैरसायल संख्या 02 जो पूर्ण रूप से शराबी एवं बदमाश प्रवृत्ति का है जो किसी प्रकार का कोई काम काज नहीं करता है और सम्पति को नुक्सान पहुंचाने की नियत रखता है तथा गैरसायल संख्या 02 भू माफिया एवं दलालों के बहकावे में आकर गैरसायल संख्या 01 के नाम की सम्पति को बिना जायज जरूरत के बेचान हस्तान्तरण करने एवं रहन रखने को आमादा है। सायला

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गैरसायल संख्या 01 की वैवाहिक पत्नी है तथा उक्त कृषि भूमि पर कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करती है सायला के आय का एकमात्र स्त्रोत कृषि भूमि ही है गैरसायल संख्या 01 व गैरसायल संख्या 02 अन्य भूमाफियों के बहकावे में आकर उक्त सम्पति कृषि भूमि को बेचान हस्तान्तरण कर रहन बेचान बक्सीस कर देता है तो सायला को भुखे मरने की नौबत आ जायेगी तथा सायला भूमिहीन हो जायेगी तथा अपने भरण पोषण के लिए दर दर की ठोकरे खानी पड़ेगी एवं भरण पोषण करना मुश्किल हो जायेगा। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 में वर्णित पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नंबर 217/1 रकबा 05 बीघा, खसरा नंबर 371 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 02 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि को गैरसायल संख्या 01 के नाम राजस्व रेकर्ड में कर्ता खानदान के रूप में दर्ज है तथा सायला गैरसायल संख्या 01 की विवाहिता पत्नी होने से पैतृक पुश्तैनी सम्पति में हक अधिकार निहित है इसलिए उक्त कृषि भूमि को गैरसायल संख्या 01 को किसी अन्य को बिना पारिवारिक जायज जरूरत के बैचान हस्तांतरण रहन वसीयत आदि अन्य हस्तांतरण करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायल संख्या 01 को रोका जावे तथा सायला उक्त कृषि भूमि को उपयोग उपभोग करें एवं काश्त तथा काश्त मुतालिक तमाम कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करे तो गैरसायलान नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि उसमें सिकी प्रकार की बाधा अड़चन व्यवधान दखलन्दाजी एवं रोकटोक नहीं करें एवं राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थिति को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के यथावत रखने से पाबन्द किया जावें एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे। अन्य कोई आदेश प्रार्थना पत्र की रूह से सायला प्राप्त करने की अधिकारी हो तो अताः फरमावे।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पेश किया, जो सामिल मिसल है।

अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 का जवाब है कि पैरा संख्या 01 सम्पूर्ण स्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 02 का जवाब है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में बताई खसरा नंबर की भूमि में राजस्व रेकर्ड में गैरसायलान संख्या 01 का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है व रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। सायला सीतादेवी केवलराम की वैवाहित पत्नी दिनांक 20.05.1997 से कभी नहीं रही न ही सायल गैरसायलान संख्या 01 की अब पत्नी है गैरसायलान संख्या 01 केवलराम अपर जिला न्यायाधीश सोजत कैम्प जैतारण में दिनांक 13.07.1995 को विवाह विच्छेद याचिका प्रस्तुत की थी जो दिनांक 20.05.1997 को गैरसायलान संख्या 01 के पक्ष में न्यायालय ने आदेश दिया। उक्त आदेश पूर्व सायला वैश्या का धन्धा करती थी व उसके तुलसाराम माली के साथ अवैध सम्बन्ध थे तब गैरसायलान संख्या 01 ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था व सायला ने भागुराम चौकीदार निवासी–मालकासणी के साथ नाता कर उसके साथ पत्नी के रूप में आज दिन तक उसके घर में रह रही है। सायला करीब सन 1992 गैरसायलान संख्या 01 के साथ कभी पत्नी के रूप में नहीं रही।

उप खण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सायला को उक्त प्रार्थनापत्र लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है न ही गैरसायलान संख्या 01 की चल व अचल सम्पति से कोई लेना देना है। सायला ने गैरसायलान के विरूद्ध गलत रूप से आरोप लगाया है। जिसका गैरसायलान संख्या 01 व 02 अलग से फौजदारी कार्यवाही कर रहे है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04 का जवाब है कि पैरा संख्या 04 सम्पूर्ण रूप से अस्वीकार है सायला सन 1992 से गैरसायलान संख्या 01 के साथ कभी नहीं रही, न ही रह रही है। सायला गैरसायलान को हैरान परेशान करने की गरज से झूठे आरोप लगाकर व तथ्य छिपाकर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है जबकि दिनांक 20.05.1997 को कानूनी तौर पर विवार विच्छेद हो चुका है। सायला गैरसायलान संख्या 01 की पत्नी नहीं है , न ही रहेगी। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 05 का जवाब है कि सायला उक्त प्रार्थनापत्र में स्टेन्जर पक्षकार है सायला को गैरसायलान के विरूद्ध कोई वाद लाने की कानूनी अधिकारी नहीं होने से सायला का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। सायला स्वयं सन 1992 से गैरसायलान संख्या 01 से लगातार अलग रह ही है। पैरा संख्या 05 में सायल के कथन असत्य है सायल कभी भी सन 1992 के बाद गैरसायलान संख्या 01 व 02 से आज दिन तक नहीं मिली न ही कभी साथ रही। सायला के पक्ष में प्रथमदृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दू प्रमाणित नहीं होने से सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

बहस वकील प्रार्थीया व अप्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। और उस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम-निम्बोल, तहसील-जैतारण की खसरा संख्या 217/1, रकबा 05 बीघा एवं खसरा संख्या 371 रकबा 06-10 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 केवलराम पुत्र नारायणराम के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। वादीया/प्रार्थिया द्वारा स्वयं प्रतिवादी संख्या 01 की पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 02 की माता की हैसियत से वाद दायर कर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। चुंकि यह स्पष्ट है कि सर्वप्रथम तो प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है, साथ ही वह वादीया/प्रार्थिया का पति है तथा जीवित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं है, जो पति के जीवित रहते उसकी खातेदारी आराजी में पत्नी को कोई हक-हिस्सा प्रदान करता हो। इसी प्रकार वादीया का यह कथन की वादग्रस्त आराजी उसके पति की स्वअर्जित न होकर पैतृक आराजी है, तथा इस आधार पर वह स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रथमदृष्टया अधिकार रखती है, के संबंध में यह एकदम स्पष्ट विधिक स्थिति है कि पति की संपति चाहे स्व-अर्जित हो या पैतृक उसमें पत्नी का अधिकार पति के जीवित रहते उद्भूत या निहित नहीं हो सकते हैं, अतः हस्तगत प्रकरण में वादीया/प्रार्थिया के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला, साबित/निहित नहीं होता है और प्रार्थिया इसे सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रही है। इसी प्रकार चुंकि प्रतिवादी संख्या 01 वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है लिहाजा सुविधा का

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

संतुलन भी प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में ही निहित होना सिद्ध होता है तथा ऐसी दशा में हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करनें से प्रतिवादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः हमारे विनम्र अभिमत में हम प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अस्वीकार करना विधिसंगत समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया/वादीया अंतर्गत धारा-212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, एवं आदेश-39, नियम- 1 व 2 सपठित धारा 151 सि.प्र.स. बखूबी साबित न होनें तथा सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 05/02/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.18 17:25:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: